**घोषणात्मक एवं क्षतिपूर्ति बंधपत्र**

**(Declaration-cum-Indemecity Bond)**

आज दिनांक ............ दिन ............ को ............ पर श्री ............ पुत्र श्री.....आयु वर्ष निवासी ............. द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्थिति में तथा हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में और अपने अव्यस्क पुत्र ............ आयु लगभग ............ वर्ष उसके पिता होने के नाते और अपनी अव्यस्क पुत्री ............ के अभिभावक के रूप में यह घोषणात्मक एवं क्षति पूर्ति बंधपत्र लिखा गया है । जिसे बाद में 'क्षतिपूरक' कहा गया है । यह अभिव्यक्ति जब तक प्रकरण के प्रतिकूल अथवा असंगत ना हो, का तात्पर्य उसके वारिसान, संचालकों, प्रबन्धकों और वैध प्रतिनिधियों और ग्रहीताओं से भी होगा। जो प्रथम पक्ष है ......... जो कि श्री पुत्र श्री ......... आयु लगभग .......... वर्ष निवासी ............ के पक्ष में जिसे वाद में "क्षतिपूरित" कहा गया है। उस अभिव्यक्त से जब तक कोई प्रतिकूल अथवा असंगत अर्थ ना लिया जाए, का तात्पर्य उसके वारिसान संचालकों, प्रबन्धकों और कानूनी प्रतिनिधियों तथा ग्रहीताओं से भी होगा ।श्री ............ द्वितीय पक्ष है । घोषणात्मक एवं क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र को निम्न प्रकार सम्पुष्ट करते हैं। चूँकि सम्पत्ति, लिखित अनुसूचि में विशेषत: वर्णित जिसे इसके अधीन इसके पश्चात् "सम्पत्ति अनुसूचित” कहा गया है, श्री ............ से क्रय की गई थी जिसका बैनामा दिनाँक ............. को हस्तान्तरण पत्र के उपनिबंधक ............ के कार्यालय में दस्तावेज सं० ............. सन् ............ पर अंकित है।

चूँकि उपरोक्त ............ की मृत्यु के समय उसकी (1) विधवा ............ (2) पुत्र ............. (3) पुत्र ............ दोनों पुत्रगण एवं ............ (1) ........... लड़की ही जीवित वारिसान मौजूद हैं।

चूंकि उक्त ............ उपरोक्त क्षतिपूरकों का पिता और उक्त हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता है जिसमें क्षतिपूरक' सहभागी है। \_\_चूकि उपरोक्त ............ उस हिन्दू अविभक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करता है जिसके क्षतिपूरक' सहभागी हैं, सम्पत्ति अनुसूचि में वह अविभक्त भाग का अधिकारी है ।

चूँकि 'सम्पत्ति अनुसचि' किरायेदारों के कब्जे में है जिसे आसानी से खाली नहीं कराया जा सकता और उससे कोई आय भी नहीं हो रही है।

चूँकि उपरोक्त ............ द्वारा अपनी इच्छा जाहिर की गई है कि वे 'सम्पत्ति अनुसूचि' को क्षतिपूरित को ही विक्रय कर दें। चूँकि श्री ............, उपरोक्त हिन्दू अविभक्त परिवार का कर्ता होने के नाते जिसके क्षतिपूरकमागाह, के द्वारा उपरोक्त अविभक्त भाग को विक्रय करने की इच्छा जाहिर की है जो कि अनुसूचि में जो कि हिन्दू अविभक्त परिवार की मिलकियत है और इस कारण से भी कि विक्रय धन का प्रयोग उक्त हिन्दू अविभक्त परिवार के ऋणों की अदायगी में ही प्रयोग किया जायेगा। तक क्षतिपूरकों द्वारा अपनी स्वीकति प्रदान कर दी गई है कि 'सम्पत्ति अनुसूचि' की बिक्री तपूरित (Indemnified) को ही उक्त कारणों से कर दी जायेगी।

और चूकि क्षतिपूरित द्वारा भी प्रस्तावित किया गया है कि वह क्षतिपुरकों के उस भाग को जो हिन्दू अभीवक्त परिवार की ‘सम्पत्ति अनुसुचि' क्षतिपूरकों से सम्बंधित है जो घोषणा एव क्षतिपूर्ति बंधपत्र लिखने के आधार पर क्रय करने को तैयार है। जो कि क्षतिपूरित के हित में है और जिसे लिखने के लिए क्षतिपूरक गण तैयार हो गये हैं।

इसलिए यह घोषणात्मक तथा क्षतिपूर्ति बंधपत्र निम्न प्रकार साक्ष्य रूप में लिखा जाता है।

1. यह कि क्षतिपूरकगण यह घोषणा करते हुए पुष्टि करते हैं कि उन्हें सम्पत्ति अनुसूचि के श्री ........ के द्वारा विक्रय के सम्बन्ध में ज्ञान है जो कि उपरोक्त ............ 'क्षतिपूरित' के पक्ष में की जा रही है और क्षतिपूरकगण उपरोक्त बिक्री के वास्ते अपनी सहमति प्रदान करते हैं।
2. यह कि क्षतिपूरकगण यह घोषणा करते हुए पुष्टि करते हैं कि सम्पत्ति अनुसूचि की बिक्री जो कि क्षतिपूरित को की जा रही है हिन्दू अविभक्त परिवार की आवश्यकता और लाभ के लिए है जिसके क्षतिपूरकगण सहभागीदार हैं।
3. यह कि क्षतिपूरक गण किसी हानिक्षति दावे अथवा खर्चे (जिसमें वकील का मेहनताना भी सम्मलित है) और अन्य आकस्मिक खर्चों अथवा अन्य दायित्व (सीधा परिणामत:, आकस्मिक अथवा विपरीत रूप से हो) जो कि क्षतिपूरित को वहन करना पड़े अथवा किसी दावे के अन्तर्गत अथवा जवाबी दावे के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाये जो कि सम्पत्ति अनुसूचि से सम्बन्धित हो, की क्षतिपूर्ति करेंगे।
4. यह कि किसी भी छूट अथवा समय वृद्धि अथव अनुग्रह के अन्तर्गत जो कि क्षतिपूरकों को दिया गया हो का इस घोषणात्मक एवं क्षतिपूर्ति बंधपत्र पर कोई पूर्वाग्रह अथवा प्रभाव नहीं होगा अथवा इस बंधपत्र के द्वारा क्षतिपूरकगणों के दायित्व को समाप्त नहीं करेगा और उपरोक्त मामलों से सम्बन्धित सुविधाओं अथवा किसी एक के सम्बन्ध में क्षतिपूरितों की किसी सहिष्णुता या चूक अथवा अन्य कोई अनुग्रह क्षतिपूरितों द्वारा प्रदत्त अथवा कानून के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि क्षतिपूरकों को उनके दायित्व से जो कि यहाँ पर उल्लिखित है से बरी करे और क्षतिपूरक गण अपने उन सभी अधिकारों को स्वेच्छा से छोड़ देंगे जो कि उन्हें किसी भी रूप में मिल सकते हों।
5. यह कि क्षतिपूरकगण इस घोषणात्मक तथा क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अन्तर्गत किसी भी हानि, दावा, क्षति अथवा हर्जा खर्चा (वकील की फीस सहित) की राशि के भुगतान हेतु सहमत होते हैं

और किसी भी दायित्व (सीधे, परिणामत: अकस्मात अथवा विपरीत रूप से) जिसकी क्षतिपूरित द्वारा प्रथम बार माँग की गई हो बिना इसको व्यक्त किये कि उसे भुगतान करने की क्या आवश्यकता है

और उसके द्वारा कहाँ व्यय किये गये जिसे क्षतिपूरकगणों से वसूल किये जाने की आवश्यकता पड़ी भुगतान करेंगे। क्षतिपूरकगण इसके लिए भी सहमत होते हैं कि उपरोक्त उल्लिखित के वास्त क्षतिपूरित में माँग आने पर उसे अन्तिम और निर्णायक माना जायेगा और क्षतिपरक गण उसे किसा विलम्ब के बिना स्वीकार करेंगे।

1. यह कि यह घोषणात्मक तथा क्षतिपर्ति बंधपत्र क्षतिपरित के लाभ को सनिश्चित करेगा और उसके वारिसान, हितार्थी और ग्रहीताओं को भी लाभान्वित करेगा और किसी प्रकार से क्षतिपूरका द्वारा अविखण्डनीय माना जायेगा।
2. यह कि यह घोषणात्मक तथा क्षतिपूर्ति बंधपत्र किसी प्रकार का कारण दर्शाकर किसी नोटिस के दिये जाने पर समापनीय नहीं समझा जायेगा।
3. यह कि यह घोषणात्मक तथा क्षतिपूर्ति बंधपत्र क्षतिपूरकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत से तथा साथ ही साथ अपने छोटे हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में जिसमें उसके अतिरिक्त उसका अव्यस्क पत्र आयु ............ वर्ष तथा ............ वर्ष एवं पुत्री ............ वर्ष सहभागीदारों द्वारा, के रूप में सम्मिलित लिखा जाता है और क्षतिपूरक इस बंधपत्र को अपने अव्यस्क बच्चों के पिता व संरक्षक की हैसियत भी लिख रहा है।

साक्ष्य में जिसके क्षतिपूरकों द्वारा इस घोषणात्मक तथा क्षतिपूर्ति बंधपत्र पर आज दिनांक ........ दिन ............ सन् ............ को हस्ताक्षर किये गये।

**साक्षीगण हस्ताक्षर**

**1. .............. ह० क्षतिपूरकगण**

**2. ................ .....................**